न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार अग्रवाल आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 171/2021

कृष्णलाल बनाम गणेशा राम

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ए)(डी) सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभापकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री जीतपाल सैनी अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.01.2024

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(ए)(डी) सी.पी.सी., 151 सी.पी. सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी के वाद के अनुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 5 एम.एल.तथा 1 ए. छोटी की कुल 80–00 बीघा दादा वींझाराम पुत्र नारायण राम के नाम से खातेदारी थी, जिसमे कुछ बेचान कर दी तथा शेष 55–00 बीघा को पंजीकृत दस्तावेज बंटवारानामा दिनांक 25–04–72 से अपने पुत्रों सहित वंटवारा कर लिया। दादा बींझा राम की मृत्यु उपरांत पिता गणेशा राम को चक 1 ए. छोटी मे 0. 94/3163 तथा चक 5 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 3 मे 40 हिस्सा प्राप्त हुआ जो पैतृक कृषि भूमि है, जिसमे वादी की 1/10 हिस्से घोषणा की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नगत् कृषि भूमि चक 1 ए. छोटी के मुरब्बा नम्बर 79 के किला नम्बर 1 व 10 की कुल 0.506 हैक्टेयर को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13–09–2004 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे निषादित कर दिया। जब तक बैयनामा का अस्तित्व रहेगा, तब तक श्री मान न्यायालय को सुनवाई अधिकार नही है। यद्यपि अप्रार्थी ने बैयनामा को शुन्य अथवा शुन्यकर्णीय के सम्बन्ध मे कोई अनुतोष नही चाहा है चूंकि बेयनामा का निष्पादन दिनांक 13–09–2004 को किया गया है। जिसकी जानकारी वादी को बखूबी थी, इसलिये वाद पत्र सीमा अवधि से बाधित होने से निरस्ती योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद निरस्त फरमाया जावे, तो जनाब की मेहरबानी होगी।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी के दादा बींझाराम की मृत्यु के उपरांत वादी के पिता गणेशाराम के नाम से चक 1 ए छोटी के मु0न0 79/73 के किला न० 1 ता 10 की 10 बीघा व मु0न0 79 के किला न0 11 ता 24 की 3.163 हेक्टर में गणेशाराम के नाम 0. 942 हेक्टर व चक 5 एमएल के मु0न0 3 के किला न0 11 ता 20 की कुल 10 बीघा में 0.421 हेक्टर भूमि कुल 3.387 हेक्टर में वादी ने 1/10 हिस्से के घोषणा की मांग की है। प्रार्थनापत्र की मद सं० 3 में चक 1 ए छोटी के मु0न0 79 के किला न० 1 व 10 की कुल [illegible] टर जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13.09.2004 को प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित किया है यह तथ्य अस्वीकार है कि श्रीमान न्यायालय को सुनवाई का अधि[illegible] का मुख्य रिलिफ पैतृक अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध में है यह विधि द्वारा वर्जित नही है तथा विक्रय पत्र की वैधता या विधिकता पर विचार किये बिना वा[illegible] हित राजस्व न्यायालय घोषित कर सकता है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से हिट नही होता है। वादीगण का रिलिफ खातेदारी अधिकारो की घोषणा का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है जिस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है जब बैयनामा को शून्य अथवा शून्यकर्णीय के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नही चाहा गया है तो बैयनामा दिनांक 13.9.2004 की मियाद का सबाल ही पैदा नही होता, चूंकि वादी के हित की घोषणा राजस्व न्यायालय विक्रयपत्र पर विचार किये बिना कर सकता है तो इसके मियाद का सबाल ही पैदा नही होता, जिस दस्तावेज का चुनौती ही नही दी गई उसके सम्बन्ध में मियाद कैसे लागु होगी ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए उकत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा उकत वादपत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध में है ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11(ए)(डी) सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण में लागु नही होते है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नगत् कृषि भूमि चक 1 ए. छोटी के मुरब्बा नम्बर 79 के किला नम्बर 1 व 10 की कुल 0.506 हैक्टेयर को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13–09–2004 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित कर दिया। जब तक बैयनामा का अस्तित्व रहेगा, तब तक श्री मान न्यायालय को सुनवाई अधिकार नही है। बेयनामा का निष्पादन दिनांक 13–09–2004 को किया गया है। जिसकी जानकारी वादी को बखूबी थी, इसलिये वाद पत्र सीमा अवधि से बाधित होने से निरस्ती योग्य है। जब तक बैयनामा का अस्तित्व रहेगा, तब तक श्री मान न्यायालय को सुनवाई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(ए)(डी) सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– [Citation – 2019 CJ(Civ.) (SC) 600], 2021 (1) RRT 27, [2018 RBJ 718] पेश किये। जवाब बहस में वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी के दादा बींझाराम की मृत्यु के उपरांत वादी के पिता गणेशाराम के नाम से चक 1 ए छोटी के मु0नं0 79/73 के किला न० 1 ता 10 की 10 बीघा व मु0न0 79 के किला न0 11 ता 24 की 3.163 हेक्टर में गणेशाराम के नाम 0.942 हेक्टर व चक 5 एमएल के मु0न0 3 के किला न0 11 ता 20 की कुल 10 बीघा में 0.421 हेक्टर भूमि कुल 3.387 हेक्टर में वादी ने 1/10 हिस्से के घोषणा की मांग की है। चक 1 ए छोटी के मु0न0 79 के किला न० 1 व 10 की कुल 0.506 हेक्टर जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13.09.2004 को प्रतिवादी स० 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित किया है। वादी का मुख्य रिलिफ पैतृक अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध में है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। विक्रय पत्र की वैधता या विधिकता पर विचार किये बिना वादी का हित राजस्व न्यायालय घोषित कर सकता है। बैयनामा को शून्य अथवा शून्यकर्णीय के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तो बैयनामा दिनांक 13.9.2004 की मियाद का सबाल ही पैदा नही होता। वादी के हित की घोषणा राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र पर विचार किये बिना कर सकता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे। वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 2018(1) RRT 642], 2015(1) RRT 100 पेश किये।

बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। माननीय न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अभिलिखित अभिवचनों का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है जिसमें वादपत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। वादी ने अपने वाद पत्र के अनुतोष में चक 1 ए छोटी के मु0नं0 79 के किला न० 1 ता 10 की 2.024 हैक. व मु0न0 79 के किला न0 11 ता 24 की 3.163 हेक्टर में गणेशाराम के नाम 0. 942 हेक्टर व चक 5 एमएल के मु0न0 3 के किला न0 11 ता 20 की कुल 10 बीघा में 0.421 हेक्टर भूमि कुल 3.387 हेक्टर में 1/10 हिस्से के घोषणा की मांग की है। वाद पत्र में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (रा
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान जमाबंदी चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल खाता संख्या 17/13 में गणेशाराम पुत्र बींझाराम हिस्सा 759/3163 है अन्य भूमि गणेशाराम द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13–09–2004 के बैय की जा चुकी है। उक्त पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13–09–2004 के प्रभावी होने के कारण वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13–09–2004 एक शून्यकरणीय दस्तावेज है जिसके सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(ए)(डी) सी. पी.सी., 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 02.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(संजय कुमार अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner